रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3566] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940
No. 3566] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 2018

का.आ. 4713(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	**नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या**	**राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
940	911ए	राजस्थान राज्य में पूगल के निकट रारा-911 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अल्लादीन का बेड़ा को जोड़ते हुए खजुवाला (बेरियांवाला) में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. रारा-14012/02/2018-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें तत्पश्चात संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4203(अ), दिनांकित 29.08.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

SL. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
940	911A	The highway starting from ita junction with NH-911 near Poogal connecting Alladin ka Bera and terminating at Khajuwala (Beriyanwala) in the state of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/02/2018 -P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O.4203(E), dated 29.08.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.15 09:08:22 +05'30'